

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

आ0सं0: यो0स्था01 / 01-03 / 2009(खंड-II) / यो0वि0,पटना,दिनांक अगस्त, 2026
आदेश

योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न प्रशाखाओं के प्रभारी एवं वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निम्न तालिका के अनुसार प्रभार आवंटित किया जाता है :-

क्र0	प्रशाखा	प्रभारी पदाधिकारी	वरीय प्रभारी पदाधिकारी
1	प्रशाखा-01 (मुख्यालय स्थापना)	श्री कृष्ण विजय सिंह, अवर सचिव	श्री ददन प्रसाद खरवार, उप सचिव
2	प्रशाखा-02 (बजट)	श्री अमित वर्मा, अवर सचिव	श्री कैवल तनुज, (भा0प्र0से0) सचिव
3	प्रशाखा-03 (लेखा)	श्री धर्मवीर प्रसाद सिंह, अवर सचिव	श्री ददन प्रसाद खरवार, उप सचिव
4	प्रशाखा-04 (योजना सेवा स्थापना)	श्री आशुतोष दत्ता, वरीय अनुसंधान पदाधिकारी	डॉ0 नुरुल हक सिवानी, संयुक्त सचिव
5	प्रशाखा-05 (सांख्यिकी सेवा एवं अन्य स्थापना)	श्री अवधेश कुमार दास, अवर सचिव	डॉ0 नुरुल हक सिवानी, संयुक्त सचिव
6	प्रशाखा-06 (अभियंत्रण संगठन राजपत्रित स्थापना / आरोप)	श्री राम ईश्वर सिंह, अवर सचिव	डॉ0 नुरुल हक सिवानी, संयुक्त सचिव
7	प्रशाखा-07 (अभियंत्रण संगठन अराजपत्रित स्थापना)	श्री मोनव्वर माहताब, अवर सचिव	श्री ददन प्रसाद खरवार, उप सचिव
8	प्रशाखा-08 (विधान मंडल एवं विधिक कार्य)	श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव श्रीमती सुजाता कुमारी, सहायक निदेशक	श्री कैवल तनुज, (भा0प्र0से0) सचिव
9	प्रशाखा-09 (योजना प्रशाखा)	श्री तपन कुमार, सहायक निदेशक	श्रीमती नेहा कुमारी, विशेष कार्य पदाधिकारी
10	प्रशाखा-10 (योजना प्रशाखा)	श्री अजय कुमार, प्रशासी पदाधिकारी	श्री कैवल तनुज, (भा0प्र0से0) सचिव
11	प्रशाखा-11 (योजना प्रशाखा, केन्द्र राज्य समन्वय)	श्री अशोक कुमार तिवारी, उप निदेशक श्रीमती शिप्रा, वरीय अनुसंधान पदाधिकारी	श्री कैवल तनुज, (भा0प्र0से0) सचिव
12	प्रशाखा-12 (लोक वित्त समिति एवं अनुश्रवण)	श्री अजय कुमार, प्रशासी पदाधिकारी	श्री कैवल तनुज, (भा0प्र0से0) सचिव

2. विभागीय आदेश ज्ञापांक 2757 दिनांक 29.05.2026 के द्वारा आवंटित प्रशाखाओं की संचिकाएँ श्री कैवल तनुज, भा0प्र0से0, सचिव के माध्यम से अपर मुख्य सचिव को उपस्थापित की जाएगी।

3. डॉ० नुरुल हक सिवानी, संयुक्त सचिव को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना का प्रभार दिया जाता है।

4. मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण (BLADA) का प्रभार डॉ० नुरुल हक सिवानी, संयुक्त सचिव को दिया जाता है।

5. इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

6. आदेश में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / -

(कृष्ण विजय सिंह)

4388

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:
प्रतिलिपि-

यो०स्था०१/०१-०३/२००९(खंड-II)- / यो०वि०, पटना, दिनांक १५ अगस्त, २०२६
माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना/निदेशक, बिहार मौसम सेवा केन्द्र, पटना/संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक, मूल्यांकन निदेशालय, बिहार, पटना/उप निदेशक, बिहार राज्य योजना पर्वद, पटना/सभी अवर सचिव/उप सचिव/प्रशासी पदाधिकारी/सभी वरीय अनुसंधान पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



14.8.26

सरकार के अवर सचिव

15